न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 67 आर 15/04–05

ए सी टी आर 43 आर 15/04–05

बिन्दे मुण्डा — अपीलकर्ता

बनाम

जैनुल अंसारी — प्रतिवादी

आदेश

53
17.03.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 17/89–90 में श्री डी सी मिश्रा विशेष पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 20.10.97 को पारित आदेश एवं एस ए आर वाद संख्या 168/2000–01 में श्री बलराम विशेष पदाधिकारी द्वारा दिनांक 29.1.2003 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उपरोक्त दोनों वादों में निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया गया है।

ग्राम	**खाता**	**प्लॉट**	**रकबा**
पुन्दाग	162	3627	4 डिसमिल

अपील आवेदन में कहा गया है कि श्री बलराम के न्यायालय में उन्होंने खाता नं0 162 खेसरा संख्या 3627 रकबा 4 डिसमिल जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया था। अपीलकर्ता के पिता के गवाही के दौरान प्रतिवादी ने आपत्ति उठायी कि अपीलकर्ता के पिता ने पूर्व में एक अन्य एस ए आर वाद संख्या 17/89–90 दायर किया था। अपीलकर्ता को उस वाद की कोई जानकारी नहीं थी। छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि वह वाद सर्वे कार्यालय से बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित किया गया था जिसमें प्रतिवेदित किया गया था कि अपीलकर्ता के पिता मुंशी मुण्डा की जमीन को नाजायज तरीके

से अकबर अंसारी ने कब्जा कर रखा है। उक्त वाद में दिनांक 26.4.1993 को एकपक्षीय जमीन वापसी का आदेश पारित हुआ जिसकी कोई जानकारी अपीलकर्ता को नहीं थी। इसके बाद 13.3.1994 को वर्तमान प्रतिवादी जैनूल अंसारी ने न्यायालय में आवेदन दिया कि उन्हें वाद की जानकारी नहीं रहने के कारण पैरवी नहीं कर पाये थे तथा दखल देहानी निर्गत होने के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई। न्यायालय ने उसके आवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई स्थगित करते पुनः सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया। परन्तु अपीलकर्ता के पिता को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी जैनुल अंसारी ने अपीलकर्ता के पिता मुशी मुण्डा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित कराकर गवाही करवाया एवं विवादित भूमि के छप्परबंदी होने संबंधी आवेदन दिलवाया। इन सारी बातों की जानकारी अपीलकर्ता को एस ए आर वाद संख्या 17/89–90 की सुनवाई के दौरान प्राप्त हुई। विवादित जमीन खतियान में पुरन मुण्डा वो महादेव मुण्डा पिता सुखु मुण्डा वो कुंजबिहारी मुण्डा वो दुखन मुण्डा पिता बिलना मुण्डा के नाम दर्ज है। विवादित जमीन खतियान में घरबाडी दर्ज है। चुँकि मकान कच्चा था अतः बाद में ध्वस्त हो गया एवं विवादित जमीन का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाने लगा। प्रतिवादी ने विवादित जमीन पर सात आठ साल पूर्व कच्चा मकान बनाया है एवं हुकुमनामे के आधार पर भूमि प्राप्त करने का दावा करते हैं। परन्तु किसी प्रकार का लगान रसीद प्रस्तुत नहीं करते हैं अतः हुकुमनामा स्वतः संदिग्ध साबित होता है। अपीलकर्ता को एस ए आर वाद संख्या 17/89–90 की जानकारी नहीं रहने के कारण उसने एस ए आर वाद 168/2000–01 दायर किया था। परन्तु इसे पूर्वादेश के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं किया गया अतः उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इनके लिखित बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादित जमीन खतियान में घरबाड़ी दर्ज है। 1942 में खतियानी रैयत ने शेख रोजा अंसारी को विवादित जमीन बिक्री किया। एस ए आर वाद 17/89–90 सर्वे के दौरान प्रारम्भ हुआ जिसमें 7.5.1991 को जमीन वापसी का आदेश पारित हुआ। दिनांक 30.9.94 को उक्त आदेश वापस लिया गया। 20.10.1997 को वाद खारिज हो गया। एस ए आर वाद 168/2000–01 दिनांक 29.1.2003 को खारिज हो गया। यह अपील दो आदेशों के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा भी लिखित बहस दिया गया है जिसमें मौखिक बहस के तथ्यों का ही उल्लेख है।

वर्तमान अपील वाद मूलतः दो आदेशों– 20.10.1997 (वाद सं0 17/89–90) और 29.1.2003 (वाद संख्या 168/2000–01) के विरुद्ध दायर है। 1997 के आदेश में निम्न न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी का निषकर्ष है कि विपक्षी को तकरारी भूमि 1942 में बंदोबस्ती से मिली और खतियान में प्रश्नगत खेसरा घरबाड़ी दर्ज है इसलिए यह भूमि छपरबंदी है और इसपर धारा 71 ए लागू नहीं होगी। निम्न न्यायालय के 29.1.2003 के आदेश में रेज–जुडीकाटा (पूर्वादेश) के आधार पर बिन्दे मुण्डा का आवेदन खारिज हो गया। एस ए आर वाद संख्या 17/89–90 में उपलब्ध साक्ष्यों, अन्य कागजातों और आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के पक्ष में 26.4.93 को दखल देहानी आदेश पारित हुआ और भूमि वापसी हेतु 28.4.93 को आदेश निर्गत

किया गया। लेकिन 30.9.94 को प्रतिवादी के अनुरोध पर उपरोक्त वाद की पुनः सुनवाई की गयी। दलील यह थी कि प्रतिवादी कुछ कारणों से अपना पक्ष नहीं रख सके और उन्हें मौका देते हुए निम्न न्यायालय ने अपने ही आदेश को 20.10.97 को पलट दिया। इस बार वादी की शिकस्त हुई और प्रतिवादी विजयी हो गये।

मूल प्रश्न यह है कि वाद संख्या 17/89–90 के प्रतिवादी को दिनांक 26.4.93 के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें अपील वाद दायर करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। दुसरी बार दिनांक 20.10.97 को निर्णय देते हुए निम्न न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी ने अपीलीय न्यायालय के अधिकारों का प्रयोग किया जो कानून की दृष्टिकोण से गलत और अवैध है। ऐसे आदेश को सही नहीं ठहराया जा सकता है।

अतएव यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वाद संख्या 17/89–90 में पारित दिनांक 20.10.97 का आदेश अनियमित और गलत है। इसलिए उस आदेश को निरस्त किया जाता है। चूँकि वाद संख्या 168/2000–01 में पारित दिनांक 29.1.2003 का आदेश भी 20.10.97 पर आधारित है इसलिए यह भी गलत है। अपील स्वीकृत करते हुए अपीलकर्ता को प्रश्नगत भूमि पर दखल देहानी का आदेश निर्गत करें। सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/पक्षों को इस निर्णय से अवगत करावें।

दिनांकः– 17.03.2008 लेखापित वो संशोधित

ह0/–

अपर समाहर्ता
रॉची।